

:: न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0 ::

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

सत्र प्रकरण क्रमांक 317/2016

संस्थापन दिनांक 11.11.2016

मध्य प्रदेश शासन जरिये आरक्षी केन्द्र गोहद,
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोगी

॥ वि रू द्ध ॥

प्रदीप शर्मा पुत्र हरीशंकर उर्फ मुन्नालाल शर्मा, उम्र 27
वर्ष, निवासी ग्राम गुठीना, थाना महाराजपुरा, जिला
ग्वालियर म0प्र0

.....आरोपी

अभियोगी द्वारा – श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक
अभियोजक।

अभियुक्त द्वारा- श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा
अवस्थी के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0
178/2016 इ0फौ0 से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0
317/2016

॥ निर्णय ॥

(आज दिनांक 01-09-2017 को घोषित किया गया)

01. प्रकरण में आरोपी पर दिनांक 12.07.2016 के रात्रि 11 बजे लगभग मेघराज शर्मा के मकान के सामने आम रोड ग्राम अन्नाइच अंतर्गत थाना गोहद में आहत शिवराज की साशय या जानबूझकर हत्या कारित करने हेतु गोली मारी जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुए एवं उपरोक्त घटना, समय व दिनांक को एवं दिनांक 02.08.2016 को अपने आधिपत्य में एक कट्टा 315 बोर

का एवं एक जिंदा राउण्ड बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखने एवं घटना कारित करने में उक्त कट्टे का उपयोग करने के संबंध में भा.द.वि की धारा 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 27 के अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि दिनांक 12.07.2016 को फरियादिया श्रीमती सीमा शर्मा अपने पति शिवराज शर्मा व बच्चों नितिन, शिवानी व माधुरी के साथ मेघराज शर्मा के यहाँ ग्राम अन्नाइच में शादी में सम्मिलित होने आए थे। रात करीब 11:00 बजे जब भात का कार्यक्रम चल रहा था उसके पति शिवराज मेघराज के मकान के सामने खड़ा था और फरियादिया व उसके बच्चे मेघराज के दरवाजे पर बैठे थे, उसी समय आरोपी प्रदीप ने अधिया निकालकर जान से मारने की नियत से शिवराज पर गोली चलाई जो शिवराज के सीने में लगी खून निकलने लगा और शिवराज वहीं पर गिर पड़ा। तत्पश्चात् शिवराज को गोहद अस्पताल ले गए। उक्त रिपोर्ट पर से देहातीनालसी क्रमांक 0/16 अंतर्गत धारा 307 की लेखबद्ध की गई, जो कि थाना गोहद में असल अपराध क्रमांक 178/16 पर पंजीबद्ध किया गया। दौराने इलाज जे0ए0एच0 अस्पताल ग्वालियर में आहत शिवराज की मृत्यु होने से प्रकरण में धारा 302 भा.द.वि का इजाफा किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आवश्यक जप्तियाँ तैयार की गई, साक्षियों के कथन अंकित किए गए, आरोपी की गिरफ्तारी की गई, मेमोरेण्डम तैयार किए गए। तत्पश्चात् आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 307, 302 भा.द.वि. एवं 25, 27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उपार्पित किया गया, जो कि माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय में भेजा गया।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 27 का अपराध पाये जाने से आरोप विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये 08 साक्षियों के कथन कराए गए।

04. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने

अपने-आप को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूठा फँसाया जाना अभिकथित किया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है:-

1.	क्या शिवराज की मृत्यु अग्नायुध से होकर आपराधिक मानव वध स्वरूप की थी? यदि हाँ तो क्या आपराधिक मानव वध हत्यात्मक प्रकृति का था?
2.	क्या आरोपी ने दिनांक 12.02.2016 को रात्रि 11 बजे मृतक शिवराज की अग्नायुध से उपहति कारित कर हत्या कारित की?
3.	क्या उक्त दिनांक समय स्थान या उसके आसपास आरोपी ने अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा राउण्ड बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा?
4.	क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त अग्नायुध को वैध अनुज्ञप्ति के बिना रखते हुए उसका उपयोग किया?
5.	दण्डादेश यदि कोई हो तो?

॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

नोट:-

उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

06. प्रकरण में आरोपी पर अग्नायुध से शिवराज को उपहति पहुँचाकर हत्या करने का आरोप है। यदि इस संबंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो साक्षी सीमा अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसे पता चला कि उसके पति को गोली लग गई है, उसने जाकर देखा था कि उसके पति को सीने में गोली लगी थी।

07. घटना के संबंध में यदि साक्षी सीमा अ0सा0 1, शिवानी शर्मा अ0सा0 2, मेघराज शर्मा अ0सा0 3 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना दिनांक को मेघराज शर्मा के यहाँ लड़की की शादी थी, घटना के समय भात का कार्यक्रम चल रहा

था तथा बारात ग्राम गिरौरा मेहगांव से आई हुई थी, उसी समय शादी में बारूद बगैरह चलाई जा रही थी तथा कुछ बाराती हर्ष फायर कर रहे थे, उसी समय शिवराज को गोली लगी थी और शिवराज के सीने से खून निकलने लगा था। उक्त साक्षी का यह भी कहना रहा है कि फिर शिवराज को अस्पताल ले गए थे, जहाँ से उसे ग्वालियर ले जा रहे थे तो शिवराज रास्ते में खत्म हो गया था।

08. प्रकरण में अभियोजन की ओर से मृतक शिवराज की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 19 प्रस्तुत की गई है। उक्त दस्तावेज को बचाव पक्ष के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि उसकी सत्यता को स्वीकार किया है। प्र.पी. 19 के शव परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया जाए तो शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने मृतक शिवराज पुत्र बाबूलाल को सीने में कारित चोट जो कि किसी अग्नायुध द्वारा पहुँचाई गई थी के कारण होने संबंधी अभिमत दिया है, जिसको बचाव पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है। अतः प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मृतक शिवराज की मृत्यु घटना दिनांक को कारित अग्नायुध की चोट के परिणामस्वरूप हुई। प्रकरण में शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक का प्र.पी. 19 की रिपोर्ट में यह भी अभिमत रहा है कि मृतक की मृत्यु आपराधिक मानव वध स्वरूप की थी।

09. प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या मृतक शिवराज की मृत्यु आपराधिक मानव वध स्वरूप की होकर हत्यात्मक प्रकृति की थी? यदि हाँ, तो क्या आरोपी ने उक्त कृत्य किया? अथवा क्या दुर्घटनात्मक थी?

10. अभियोजन कथानक अनुसार आरोपी पर मृतक शिवराज की हत्या कारित करने के आशय से उस पर अग्नायुध से गोली चलाने का आरोप है। घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले साक्षी सीमा शर्मा जिसके द्वारा देहातीनालसी प्र.पी. 1 लेख कराई गई है। सीमा अ0सा0 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो घटना के संबंध में इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि भात का कार्यक्रम पूरा होने के बाद बारात दरवाजे पर आ गई थी, उसी समय बारात में पटाखे, बारूद एवं बंदूकें चल रही थी, फिर गोली की आवाज आई, उस समय उसका पति बाहर बैठा हुआ था

और उसे जानकारी होने पर कि उसके पति को गोली लगी है, वह पति के पास गई थी तो पति के सीने में गोली लगी थी जो कि बारात में से चली हुई गोलियों में से कोई गोली लगी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आ गई थी, फिर पुलिस ने वहाँ रिपोर्ट लिखी थी तथा मौके पर लिखापट्टी कर नक्शामौका बनाया था।

11. साक्षी सीमा अ0सा0 1 ने अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है। सम्पूर्ण घटनाक्रम तो बताया है, किन्तु इस साक्षी ने इन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है कि मृतक शिवराज को किस के द्वारा चलाई हुई गोली लगी थी। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक के इन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी प्रदीप शर्मा ने जान से मारने की नियत से शिवराज पर गोली चलाई थी। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक इस साक्षी के समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके उपरांत भी इस साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। यहाँ तक कि प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी का कहना रहा है कि घटना दिनांक को उसने बारात के आसपास प्रदीप को नहीं देखा था। बारात में आए हुए कई लोग हर्ष फायर कर रहे थे, जबकि लडकी पक्ष वालों के पास कोई हथियार नहीं थे। यहाँ कि साक्षी का यह भी कहना रहा है कि उसने अपने पति को पूछा था कि किस की गोली लगी है तो उसके पति ने कहा था कि पता नहीं कहाँ से गोली आकर लग गई है।

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी शिवानी शर्मा अ0सा0 2 जो कि मृतक शिवराज की पुत्री है इस साक्षी का अपने कथनों में यह कहना रहा है कि जब बारात लेट आई थी तो वह सो गई थी, जब वह जागी उस समय उसके पिताजी को गोली लग गई थी। इस साक्षी को भी अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के आधार पर पक्षविरोधी घोषित किया गया है, किन्तु सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक इस साक्षी के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भी इस साक्षी ने आरोपी द्वारा मृतक शिवराज को गोली मारे जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। जबकि प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी का कहना रहा है कि शादी में प्रदीप शर्मा नहीं आया था और घटना के समय वह सो गई थी। घटना के बारे में से कोई जानकारी नहीं है।

13. अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी मेघराज शर्मा अ0सा0 3 जिसने घटना दिनांक को शादी होना दर्शाया गया है का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना के समय शादी में बारूद चलाई जा रही थी, कुछ बाराती हर्ष फायर कर रहे थे, वहाँ काफी भीड़ इकट्ठी थी, पता नहीं किस की गोली आकर शिवराज को लगी थी। शिवराज को ग्वालियर ले जा रहे थे तब रास्ते में वह खत्म हो गया था। तत्पश्चात् पुलिस ने सफीनाफार्म जारी कर पंचनामा लाश तैयार किया था। शिवराज को किस प्रकार लगी के संबंध में इस साक्षी ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी को भी अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक उसके सक्षम रखा गया है, किन्तु इसके उपरांत भी साक्षी ने इन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी प्रदीप शर्मा द्वारा चलाई गई गोली मृतक शिवराज को लगी थी और न ही इन तथ्यों का समर्थन किया है कि मृतक ने उसे बताया था कि प्रदीप की चलाई हुई गोली उसे लगी है। यहाँ तक कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस आशय के कथन किये हैं कि उस दिशा शादी में प्रदीप नहीं आया था।

14. अभियोजन की ओर से घटना के चक्षुदर्शी साक्षी सुनीता अ0सा0 4, सविता अ0सा0 5 होने दर्शाए गए हैं, किन्तु इन साक्षियों ने भी घटना समर्थन नहीं किया है, बल्कि इन साक्षियों का अपने मुख्य परीक्षण में ही कहना रहा है कि वह शादी में नहीं गई थी, उन्हें सुबह पता चला था कि शिवराज को गोली लगी है, फिर खबर सुनकर वह आए थे। साक्षी सुनीता अ0सा0 4, सविता अ0सा0 5 एवं मेघराज शर्मा अ0सा0 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि पिताजी के मरने के बाद सविता और सुनीता जायदाद में हिस्सा मांगती थी और इसी कारण उनका आपस में विरोध था और उनका आना जाना बंद था, इसी कारण घटना दिनांक को सुनीता और सविता शादी में नहीं आई थी। साक्षी सुनीता अ0सा0 4 एवं सविता अ0सा0 5 को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है, किन्तु उपरांत भी उक्त साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

15. साक्षी कपिल अ0सा0 7 जो कि घटना का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी है ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है, बल्कि इस साक्षी का कहना रहा है कि वह शादी में नहीं गया था और सुबह फोन

आया था तब उसे पता चला था कि उसके मामा शिवराज को गोली लगी गई है।

16. अभियोजन साक्षी बंटी अ0सा0 6 जो कि आरोपी से कट्टा जप्ती साक्षी है का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसके समक्ष पुलिस ने कोई जप्ती नहीं बनाई थी, किन्तु जप्तीपत्रक में उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक इस साक्षी के समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके उपरांत भी इस साक्षी ने इन तथ्यों की पुष्टि नहीं की है कि उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से कट्टा जप्त किया था।

17. प्रकरण में विवेचना साक्षी यतेन्द्र सिंह भदौरिया अ0सा0 8 के द्वारा की गई है। इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान एक कट्टा ग्राम अन्नायच के पास पीपल के पेड़ के पास झाड़ियों में रखे होने की जानकारी दी थी। तत्पश्चात् कट्टा व एक खाली कारतूस जप्त किया था।

18. प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि मृतक शिवराज की मृत्यु अग्नायुध से विवाह के दौरान गोली लगने के कारण हुई, किन्तु साक्षियों ने इस तथ्यों का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी प्रदीप शर्मा वहाँ पर उपस्थित था और उसके द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः चलाई गई गोली मृतक शिवराज को लगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस आशय का निष्कर्ष निकाले जाने के लिए कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है कि आरोपी प्रदीप शर्मा द्वारा अग्नायुध से किसी प्रकार की क्षति मृतक शिवराज को कारित की गई।

19. आरोपी पर आयुध अधिनियम के अंतर्गत बगैर अनुज्ञप्ति के अग्नायुध रखने एवं उपयोग करने का आरोप है। मृतक पर घटना के समय आरोपी के द्वारा अग्नायुध का प्रयोग किया गया हो यह प्रकरण में प्रमाणित नहीं हुआ है। अब इस बिन्दु पर विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी के आधिपत्य से कोई अग्नायुध जप्त किया गया?

20. प्रकरण के विवेचनाधिकारी यतेन्द्र सिंह भदौरिया अ0सा0 8 आरोपी के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कट्टा ग्राम अन्नाइच के पास पीपल के पेड़ के पास झाड़ियों में से निकालकर

पेश करने पर जप्त करने संबंधी कथन किए हैं, किन्तु यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जप्ती के साक्षी बंटी अ०सा० 6 ने उक्त जप्ती अथवा मेमोरेण्डम का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से दर्शित होता है, जिसमें इस आशय का अभिमत दिया गया है कि अग्नायुध जप्त किया जाना दर्शाया गया है और जो कारतूस का खाली खोका जप्त किया जाना दर्शाया वह उस पिस्तौल से नहीं चलाया गया है।

21. प्रकरण में जप्त दर्शाए गए पिस्तौल फरियादिया के घर के पास पीपल के पेड़ के पास लगी झाड़ियों से जप्त किया जाना दर्शाया गया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि घटना दिनांक 12.07.2016 को दर्शाई गई है, जबकि प्रकरण में पिस्तौल की जप्ती 02.08.2016 को दर्शाई गई है। साक्षी यतेन्द्र सिंह भदौरिया अ०सा० 8 ने अपने कथनों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जिस स्थान पर वह कट्टा का जप्त होना बता रहा है वहाँ कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। ऐसी स्थिति में घटना के लगभग बीस दिन पश्चात् खुले स्थान से शस्त्र बरामद होना दर्शाया गया है और ऐसी स्थिति में जहाँ कि मेमोरेण्डम व जप्ती के साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। आरोपी की निशादेही से जप्ती की गई के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

22. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, बसूत का स्थान नहीं ले सकता है और अभियोजन को प्रत्येक दशा में संदेह से परे यह प्रमाणित किया जाना होगा कि आरोपी ने अपराध किया है। ऐसी स्थिति में जहाँ कि स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है, खाली स्थान से जप्ती की गई है। केवल मात्र विवेचना अधिकारी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि आरोपी की निशादेही से ही प्रकरण में जप्त पिस्तौल बरामद की गई थी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से आरोपी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रमाणित नहीं की गई है।

23. अतः अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि आरोपी के द्वारा ही मृतक शिवराज को अग्नायुध से उपहति कारित कर चोटें पहुँचाई गई और न ही यह भी अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी अवैध अग्नायुध अपने पास रखे

हुए था एवं उसने उसका प्रयोग किया।

24. परिणतः आरोपी को भा.द.वि की धारा 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 27 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

25. आरोपी जमानत पर है उसके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

26. आरोपी के निरोध के संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

27. प्रकरण में जप्तशुदा बताया गया 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर के कारतूस का खाली खोका अपील अवधि पश्चात् उचित निराकरण हेतु डी.एम. कार्यालय भिण्ड भेजा जावे। प्रकरण जप्तशुदा अन्य संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)